

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

एनीकट/स्टॉपडेम की निम्नलिखित योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल कर निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है:-

1. जिला बिलासपुर में लपटी एनीकट निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 690.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
2. जिला रायपुर में माना स्टापडेम निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 110.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
3. राजनांदगांव जिले में धामनसरा (माहड़) एनीकट कम काजवे योजना (अनुमानित लागत ₹ 1300.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
4. कबीरधाम जिले में बकेला पचराही स्टापडेम निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 220.50 लाख) पर इस वर्ष ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
5. मलपुरी स्टापडेम निर्माण के मद परिवर्तन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
6. सहगांव एनीकट निर्माण के मद परिवर्तन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 600 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

रायपुर जिले में चिंचपोल बैराज (औद्योगिक जल संरचना) के निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 13326.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ₹ 5.00 लाख व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर अतिरिक्त राशि ₹ 2000.00 लाख का व्यय संभावित है। इसके साथ ही निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. बिलासपुर जिले की पथरिया बैराज के निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 1750.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
2. जिला बिलासपुर की बरबसपुर व्यपवर्तन योजना (अनुमानित लागत ₹ 250.00 लाख) एवं इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
3. खरखरा व्यपवर्तन बांयी तट नहर प्रणाली का लाईनिंग कार्य (अनुमानित लागत ₹ 213.00 लाख) इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।
4. सिवनी जलाशय योजना (अनुमानित लागत ₹ 110.00 लाख) पर इस वर्ष ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 20,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।